दिनांक–30.07.2018 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में आहूत Plastic Waste Manegment Rules, 2016 के अर्न्तगत गठित राज्यस्तरीय सलाहकार समिति (SLAC) की प्रथम बैठक की कार्यवाहीः–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राज पत्र सं–G-S-R–320 (E) दिनांक–18.03.2016 के द्वारा अधिसूचित PWM Rule 2016 के कंडिका– 16 मे अंकित प्रावधानों के अधीन गठित राज्य स्तरीय के सलाहाकार समिति (SLAC) जो विभागीय अधिसूचना सं0–1586 दिनांक–05.07.2018 द्वारा अधिसूचित है उक्त **गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (SLAC) की प्रथम बैठक** दिनांक–30.07.2018 को अप0 12:00 बजे विभागीय सभागार कक्ष समपन्न हुई।

बैठक मे निम्नलिखित पदाधिकारीयों ने भाग लियाः–

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष, नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री संजय दयाल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री सुरेन्द्र सिंह, अपर सचिव, पर्यावरण वन विभाग, बिहार।
श्री एम0 ओझा, Joint Commisioner, वाणिज्य कर विभाग।
श्री आलोक कुमार, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, बिहार।
श्रीमति इन्दु कुमारी, नोडल ऑफिसर, एस0बी0एम0 नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री संजय दूबे, नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर, नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री राजीव कुमार सिंह, राज्य समन्वयक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार।
श्री सुबोध कुमार, राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग, बिहार।
श्री एस0एन0 जयसवाल, बोर्ड एनालिस्ट, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, बिहार।
श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री रमेश चन्द्रा, वाइस प्रेसिडेंट, बिहार इन्टस्ट्री एसोसिएशन।
श्री मनोज कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारी शरीफ।
सुश्री स्वाति सम्याल, Program Manager, CSE, Delhi.
श्री N.S. Mourya, HOD Civil Engg. NIT. Patna.
श्री अनिल कुमार गुप्ता, Team Leader. SBM. SPMU.
श्री सब्य साची साहू, SWM Expert. SPMU.
डॉ0 असद उमर, Sr. Program Officer. आगा खान फाऊण्डेशन।
श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।
श्री जे0एन0 सिंह, टीम लीडर, एस0पी0एम0जी0।

सर्वप्रथम अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी का स्वागत किया गया। अध्यक्ष एवं स्वच्छ भारत मिशन के SWM Expert द्वारा PWM Rules 2016 का PPT के माध्यम से समिति के सामने विस्तृत चर्चा की गई चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1. प्रधान सचिव महोदय द्वारा समिति को राज्य में 50 माइक्रोन से कम मुटाई वाले सभी प्लास्टिक निर्मित वस्तुएँ, कैरीबैग, पॅलिथिन बैग आदि पर निकाय के माध्यम से प्रतिबंधित होने के प्रस्ताव की जानकारी दी गई।

2. राज्य में सभी प्रकार के कैरी बैग, पॉलीथीन बैग पूणर्तः प्रतिबंध के लिए मुख्य सचिव, बिहार सरकार स्तर पर वन एवं पर्यावरण विभाग, के साथ सहमति बन गई है।

3. राज्य में पूर्णतः प्लास्टिक कैरी बैंग को प्रतिबंध करने के लिए SBM-PMU को दूसरे प्रतिबंधित राज्यों में इस आशय पर लिये गये निर्णयों का मूल्यांकन कर राज्य के लिए Plastic Waste Manegment के लिए एक Bye-laws (नियमावली) तैयार कर समिति के सभी सदस्यों को भेजकर उनका फीडबैक लेने के लिए निर्णय लिया गया।

(अनुपालनः– SBM-State PMU)

4. समिति द्वारा सुझाव दिया गया की इस Bye-laws में स्पस्ट रूप से वर्णित हो कि कौन कौन सा प्लास्टिक से निर्मित वस्तुऍ पर प्रतिबंध हो एवं कौन कौन सा वस्तुऍ को छूट दिया जाना है। इनके प्रयोग एवं भंडारण करते समय पकड़े जाने पर उन पर जुर्माना एवं सजा का प्रवाधान भी होना चाहिए।

5. इस Bye-laws मे छूट दिये गये उद्योगों एवं सेवा देने वाले फर्म को EPR (Extended Producer Responsibility) प्रावधानों के तहत् उनके द्वारा प्रयोग किये गये प्लास्टिक से बने समान को Buy-back (वापस खरीद) लेने के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। कम्पनीयों द्वारा Buy-back (वापस खरीद) का प्रावधान नही करने पर उन पर जुर्माना की राशि राज्य स्तर से ही निर्धारित किया जाए। इस आशय पर सबसे पहले सुधा दूध के लिए प्रयुक्त होने वाले पैकेजिंग प्लास्टिक को Buy-back करने के लिए सुधा कॉपरेटिव मिल्क फेडेरेशन के बिहार स्थित सभी युनिट को अलग से सुझाव भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन–बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति, बिहार)

6. राज्य में प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओ को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने से पहले एक माह का समय उन व्यवसायी, उधोग, फर्म आदि को दिया जाना है, ताकि वह अपने स्टॉक को पूर्णतः खत्म कर लें। राज्य मे पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के बाद पकड़े जाने पर उन पर कानूनी कारवाई की जा सके एवं इसके तहत् पेनाल्टी की राशि वसूल की जा सके।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी / नगर निकाय)

7. प्रधान सचिव द्वारा "प्लास्टिक मुक्त बिहार" के लिए व्यापक प्रचार हेतु रणनीति बनाने का निंदेश दिया गया । जिसमे न्यूज पेपर ,सिनेमा,स्लाईड, केबल टी.बी, होर्डिंग, FM रेडियो, बैनर , पोस्टर, पम्पलेट आदि के माध्यम से सभी विधालयों, कॉलेजों, अस्पतालों, सरकारी संस्थानो के लोगो को जोड़कर बिहार को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर सहमति दी गई।

(अनुपालनः– सुचना एवं जन सम्पर्क विभाग)

8. प्रधान सचिव द्वारा सभी नगर निकायों के तहत नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी को अपने स्तर से प्लास्टिक निर्माताओं, व्यापारियो एवं आपूर्तिकर्ताओ को बुलाकर प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नही करने एवं उसके बदले Envivonment Friendly Materials से बने बैग का प्रयोग

9. प्रधान सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि विभिन्न नगर निकायों के वार्डो मे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु वार्डवार प्रचार–प्रसार की रणनीति निकाय स्तर पर तैयार की जाय तथा तदनुसार कार्यान्वयन का प्रभावी प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी/नगर निकाय)

10. समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलो के जिला पदाधिकारी अपने जिले को प्लास्टिक मुक्त करने हेतु अभियान चलाने का संकल्प लें एवं इसके लिए जिला स्तर पर सभी सरकारी कार्यालय, धर्म स्थल, विधालय, अस्पताल, कॉलेज, इत्यादि जगहों पर युवा वर्ग के लोगों को भी जोड़ कर प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाये जाने के लिए प्रोत्साहित करें।

घन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

11/8/2018

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति।
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–03/ वि० -18-12/2015 1948 दिनांक– 14/8/18

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव बिहार सरकार को सादरसूचनार्थ सर्मर्पित/राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/सभी जिला पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

11/8/2018

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–03/ वि० -18-12/2015 1948 दिनांक– 14/8/18

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विषेश सचिव/नोडल पदाधिकारी SBM/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत State PMU/Team Leader, SPMG बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

11/8/2018

प्रधान सचिव।